बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार) Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक ...3/1012023

अन्संः संबं0—6032/2023— 794 / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक—11.08.2023 को गैर—सरकारी फार्मेसी महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर—सरकारी फार्मेसी महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यकम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र—2023—24 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शत्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

SI No	Name of the Pharmacy Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	A & E College of Pharmacy	Samastipur	D. Pharm	60
2	Ambedkar College of Education	Rohtas	D. Pharm	60
3	Ambedkar Institute of Higher Education	Patna	D. Pharm	60
4	Baba Rajaram College of Education	Lakhisarai	D. Pharm	60
5	Balaji College of Pharmacy	Siwan	D. Pharm	60
6	Bhojpur College of Pharmacy & Technology	Bhojpur	D. Pharm	60
7	Chanakya College of Pharmacy & Medical Sciences	Bhojpur	D. Pharm	60
8	Dhanarua School of Nursing & Paramedical	Patna	D. Pharm	60
9	G. M. College of Pharmacy	Begusarai	D. Pharm	60
10	Himalaya College of Pharmacy	Patna	D. Pharm	60
11	J.P. College of Pharmacy	Nalanda	D. Pharm	60
12	Kamla Kapileshwar College of Pharmacy	Vaishali	D. Pharm	60
13	Kamleshwari Prasad Singh College of Pharmacy	Patna	D. Pharm	60
14	Lord Buddha Koshi Pharmacy College	Saharsa	D. Pharm	60
15	Magadh Institute of Pharmacy	Patna	D. Pharm	60
16	Mamta Institute of Education	Siwan	D. Pharm	60
17	MGM College of Pharmacy	Patna	D. Pharm	60
18	Modern Institute of Pharmacy	Banka	D. Pharm	60
19	Nibha Institute of Pharmaceutical Sciences	Nalanda	D. Pharm	60
20	Pragya College of Pharmaceutical Sciences	Gaya	D. Pharm	60
21	Radiant Institute of Pharmaceutical Sciences	Kishanganj	D. Pharm	60
22	Raj College of Pharmacy	Kaimur	D. Pharm	60
23	Rajeev College of Pharmacy	Sitamarhi	D. Pharm	60



24	Ram Pratap Institute of Pharmacy College	Gava	D DI	1 00
25	Rameshwar Singh Pharmacy College	Gaya	D. Pharm	60
		Gaya	D. Pharm	60
26	S. N. S. College of Pharmacy	East Champaran	D. Pharm	60
27	Sai College of Pharmacy	Shiekhpura	D. Pharm	60
28	Saraswati Devi Ram Sagar Jha College of Pharmacy	Samastipur	D. Pharm	60
29	Shivam College of Higher Studies	Patna	D. Pharm	60
30	Sikaria Pharmacy College	Motihari	D. Pharm	60
31	Subhwanti Institute of Professional Education	West Champaran	D. Pharm	60
32	Zee Educational Foundation Institute of Pharmacy	Aurangabad	D. Pharm	60
33	Kalyan Seva Sansthan College of Pharmacy	Jamui	D. Pharm	60
34	Gautam Institute of Pharmacy	Nalanda	D. Pharm	60
35	Gautam Institute of Nursing and Paramedics	Nalanda	D. Pharm	60

नियम एवं शर्तोः-

- 1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की घारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
- 2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
- यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सत्र-2022-23 का संबद्धता पत्र समर्पित नहीं किया गया है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व सत्र-2022-23 का संबद्धता पत्र समर्पित करेंगे।
- 4. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सत्र—2023—24 हेतु संबंधित Pharmacy Council of India (PCI), New Delhi से नामांकन की अनुमित प्राप्त नहीं की गई है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र—2023—24 में बिना PCI, New Delhi की अनुमित प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे। नामांकन की अनुमित प्राप्त होने पर अविलंब इसकी एक प्रति यथाशीघ्र विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।
- 5. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा PCI, New Delhi से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। PCI, New Delhi द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में PCI, New Delhi द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
- 6. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
- 7. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
- 8. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र—छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
- 9. विश्वविद्यालय / PCI, New Delhi / बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय / संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
- महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ PCI, New Delhi के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।



- 11. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
- 12. महाविद्यालयों / संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत /भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य / सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

(विमलेश कुमार झा)

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं - 6032/2023 - 734 / पटना, दिनांक <u>छ। १०००</u>23

प्रतिलिपि—प्राचार्य / निदेशक / सचिव, संबंधित फार्मेसी महाविद्यालय / संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

बिहार स्वांस्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं - 6032/2023 - 234 / पटना, दिनांक 3/1/01/2023

प्रतिलिपि—डीन(अकादिमक) / डीन(आयुष) / डीन(परीक्षा) / परीक्षा नियंत्रक / वित्त पदाधिकारी / कुलपित के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं -6032/2023- 734 / पटना, दिनांक 3/101 2023

प्रतिलिपि— माननीय मुख्यमंत्री, बिहार—सह—कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया/कुलसचिव, बी॰आर॰ए॰ बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/लित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरमंगा/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना